ईमेल/डाक

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांकः– एफ.3(3)(1)रोल्स/निर्वा/2016/4280 जयपुर, दिनांक : 23/11/2016

प्रेषकः– मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषितिः– समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर्स), राजस्थान।

विषयः– मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम–2017 हेतु प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने के सम्बंध में।

प्रसंगः– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक एफ3(3)(1)रोल्स/निर्वा/2016/4232 दिनांक 21.11.2016 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि प्रारूप मतदाता सूचियों के संदर्भ में मतदाता सूची के खण्ड–क (परिशिष्ट–2) में मतदान केन्द्र के नाम व अन्य विवरण में नेशनल ERMS पर अपने–अपने User व Password से Login कर संशोधन करने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु आप द्वारा प्रारूप मतदाता सूचियों की तैयार की गई सी.डी./पी.डी.एफ. फाइल को जॉचने पर कुछ लिपिकीय विसंगतियां पाई गई है, उनमें से कुछ निम्न प्रकार है –

1. परिशिष्ट–2 के क्रम संख्या 1 पुनरीक्षण का विवरण में अन्तिम प्रकाशन की दिनांक 16.01.2017 की जगह गलत तिथि अंकित की गई है।
2. परिशिष्ट–2 के क्रम संख्या 2 में मतदान क्षेत्र का विस्तार अंकित किया गया है। इन विस्तारों की संख्या एवं नाम कतिपय भागों में प्रस्तावों से भिन्न है। इसी प्रकार परिशिष्ट– 2.2 (मतदाता सूची) में अनुभाग संख्या का अंकन भी परिशिष्ट–2 के क्रम संख्या 2 के अनुसार नहीं है।
3. परिशिष्ट–2 के क्रम संख्या 3 पर मतदान केन्द्र का विवरण मतदाता सूची प्रपत्र–4 के प्रस्तावों के अनुसार सही अंकित नहीं है।
4. परिशिष्ट–2 के क्रम संख्या 4 में मतदाताओं की संख्या एवं प्रस्ताव अनुसार मतदाता संख्या में कही–कही भिन्नताऐं है।
5. परिशिष्ट–2.1 में अंकित नजरी नक्शा पुनर्गठित मतदान केन्द्रों के नजरी नक्शे से भिन्न है।

उपरोक्त लिपिकीय विसंगतियों के मद्देनजर यह उचित होगा कि परिशिष्ट 2 , 2.1, 2.2 एवं सम्पूर्ण पी.डी.एफ. फाईल को एक बार पुनः जॉच ले। सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पर्याप्त जॉच के पश्चात् आश्वस्त हो जायें कि प्रारूप मतदाता सूची में अब किसी प्रकार की विसंगति नहीं रह गई है। इसके लिए प्रत्येक प्रारूप मतदाता सूची में निम्न प्रकार जॉच करवा कर सुनिश्चित कर लें कि–

1. परिशिष्ट–2 में विधानसभा क्षेत्र की संख्या एवं नाम व आरक्षण की स्थिति सही है।
2. परिशिष्ट–2 में अंकित भाग संख्या का अंकन मतदान केन्द्रों की सूची (प्रारूप–4) के अनुसार किया गया है।

3. लोकसभा क्षेत्र की संख्या, नाम एवं आरक्षण की स्थिति सही अंकित की गई है।
4. परिशिष्ट–2 के भाग 1 में पुनरीक्षण का विवरण निम्न प्रकार से दर्शाया गया है –
    1. पुनरीक्षण का वर्ष – 2017
    2. अर्हता दिनांक – 01.01.2017
    3. पुनरीक्षण का प्रकार – विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण
    4. अन्तिम प्रकाशन की दिनांक – 16.01.2017
5. परिशिष्ट–2 के भाग–2 में मतदान केन्द्र का विस्तार में पुनर्गठित मतदाता सूची के आधार पर अनुभागों का विवरण अंकित किया गया है।
6. परिशिष्ट–2 के भाग संख्या–3 में मतदान केन्द्र का विवरण निम्नानुसार अंकित है–
    1. मतदान केन्द्र की संख्या एवं नाम – मतदान केन्द्र की सूची (प्रारूप –4) के अनुसार मतदान केन्द्र की संख्या एवं नाम लिखा गया है।
    2. मतदान केन्द्र का भवन एवं पता – पुनर्गठन के पश्चात् नये बनाये गये मतदान केन्द्र एवं परिशिष्ट–ब के अनुसार परिवर्तित भवन का नाम एवं पता अंकित किया गया है।
    3. परिशिष्ट–2 की भाग संख्या–4 में मतदाताओं की संख्या मतदान केन्द्रों की सूची प्रारूप–4 के अनुसार अंकित की गयी है। आरंभिक क्रम संख्या प्रत्येक भाग में नम्बर 1 रहेगी।
    4. परिशिष्ट–2.1 में नया नजरी नक्शा अंकित किया गया है।
    5. परिशिष्ट–2.2 में अनुभाग संख्या मतदान केन्द्रों की सूची (प्रारूप–4) के अनुसार अंकित की गयी है।

अतः आप सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देश प्रदान करते हुए सुनिश्चित करलें कि प्रारूप मतदाता सूची के प्रिन्ट करने से पूर्व समस्त प्रकार की त्रुटियों को संशोधित कर दिया गया है।

भवदीया,

(डॉ0 रेखा गुप्ता)
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।